तक रास्ता खुलता नहीं है । किसी-किसी दिन, दिन भर रास्ता बलाक रहता है, जिससे सिटी के अंदर आने वाले देहात के लोगों को अपनी तारीख-पेशियों के लिए कोर्ट में जाएं, तो उसमें लेट हो जाते हैं, तारीख पर पहुंच नहीं पाते हैं ।

ऐसी स्थिति के बारे में बार-बार रेलवे मंत्री जी से भी निवेदन किया गया है । या तो आप इस फाटक के ऊपर एक ओवरब्रिज बना दें, जिससे कि यातायात के साधन के आने-जाने में और जनता को हो रही परेशानी से छुटकारा मिल सके, या आप बाई-पास बनवा दें, जिससे जनता को जो उस फाटक से परेशानी हो रही है, क्योंकि पश्चिमी रेलवे की एक मुख्य जो लाईन है, बम्बई-दिल्ली, वह डिंडोन होकर जाती है और यह फाटक इस लाईन पर है ।

इसलिए मैं सरकार का ध्यान पुन: आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि आप इस ओवरब्रिज की ओर ध्यान दें या बाई-पास को निकालने की ओर ध्यान दें ।

मेरा इतना ही निवेदन है । धन्यवाद ।

Alleged espionage by Pakistani agents in collusion with Uttar Pradesh Government Officials

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक बड़े ही सनसनीखेज़ समाचार पर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें देश की सुरक्षा का संबंध है । यों तो इस समय काफी स्कैण्डलज़ की सूचना मिल रही है, लेकिन जब देश की सुरक्षा के बारे में कोई ऐसी घटना होती है और वह शख्स जब सरकार की मशीनरी के हर सर्किल में घूमता है और उसको प्रभावित करता है तो यह बात चौंकाने वाली होती है।

मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय सहारा के दैनिक पत्र दिनांक 27-7-93 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें इसने यह सूचना दी है कि भारतीय खुफिया ब्यूरो के आदेश पर यू० पी० खुफिया एजेंसी ने श्रीमती परवीन आजाद के कृत्यों पर प्रकाश डाला है । परवीन आजाद के पिता सुल्तान अहमद सन् 1949 में भारत की यू० पी० जुडीशियल सर्विस में थे । लेकिन उनके नाजायज़ फलसफों के कारण उनको डिसमिस किया गया और वे पाकिस्तान चले गए, जहां आई० एस० आई० में वे काम करने लगे, सम्बद्ध हो गए । सन् 1965 की वार में वे भारत आए और बरेली में उनको जासूसी के आरोप में पकड़ा गया । उन पर मुकदमा चला और उनको ढाई साल की सजा हुई । सजा खत्म होने के बाद उनको पाकिस्तान भेजा गया । पुन: सन् 1971-72 की लड़ाई में वह भारत आए और फिर जासूसी करने लगे । पुलिस ने फिर उनको पकड़ा और मुकदमा चलाया और ढाई साल की सजा हुई । सजा खत्म होने के बाद उनको पाकिस्तान भेजा गया लेकिन पता नहीं क्यों 1985-86 में दो बार जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को कौन-सी दया बरती गई कि उन्हें पुन: भारत आने की स्वीकृति मिली ? 1985-86 में वे यहां आए । बाराबंकी में उनका मुस्लिम इलाकों में प्रवेश हुआ और वहां पर उन्होंने भीषण रायट कराया और उसके बाद वहां से पाकिस्तान चले गए । वह अपने परिवार को बदायूं में छोड़ गए हैं । उनके पुत्र शाहजहां सुल्तान की शादी जे० के० एल० एफ० काश्मीर का जो एक महत्वपूर्ण आतंकवादी संगठन है, उसके एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की लड़की से हुई है । यह परवीन आजाद यू० पी० भवन के यू० पी० सरकार के विशेष अधिकारियों के साथ घूमती हुई, होटलों में जाती हुई, विमान पर सैर करती हुई देखी गई हैं । ऐसे लोगों के साथ खास करके हमारे जो इसमें नाम दिया हुआ है गवर्नर के एडवाइज़र का तो उनके साथ में विमान में सैर करती हैं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : Madam, I would like to point out that the Governor's Advisers' names are mentioned without any opportunity for them to defend themselves. I don't think it is proper.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : ठीक कह रहे हैं आप, बिना नाम लिए कोई भी बात करें, किसी का भी नाम, वह व्यक्ति जो अपने आपको डिफेंड नहीं कर सकता सदन में उसका नाम न लें ।

श्री राम रतन राम : ठीक है ।

यह परवीन आजाद दो बार लंदन गई हैं । जे० के० एल० एफ० के दफ्तर में देखी गई हैं । ऐसे व्यक्ति के साथ, अगर यह ऐसी शख्सियत यू० पी० गवर्नमेंट के उच्चाधिकारियों के साथ घूमती है तो क्या यह हमारे लिए सुरक्षा का प्रश्न नहीं बनता ? दूसरी बात यह है कि यू० पी० के खुफिया विभाग ने केन्द्रीय सरकार के खुफिया विभाग को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ? मैं इसकी मांग करता हूं कि रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किया जाये । धन्यवाद ।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : उपसभाध्यक्ष महोदया, किसी के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करना ठीक नहीं ।

उपसभाध्यक्ष : नहीं, व्यक्तिगत जीवन की चर्चा नहीं कर रही हैं । आपने सुना नहीं ।

श्रीमती कृष्णा साही : उन्होंने कहा कि कहां घूमती है, कहां जाती हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : नहीं-नहीं, वह देश की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं । आपने पूरा सुना नहीं । ठीक है ।

Alleged atrocities on a Sikh family at Mughalsarai Railway station

श्री इकबाल सिंह (पंजाब) : मैडम वाइस चैयरमन, मैं